प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला ।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
3. चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
4. चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी।
4. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
6. वाईoएमoसीoएo युनिवर्सिटी ऑफ साईंस एंड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद।
7. गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार।
8. चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

यादि क्रमांक 3/18–2008 स०(2)
दिनांक, पंचकूला 15-7-2017

विषय: अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं से दाखिले के समय फीस/फण्ड्स न लेने बारे।

****

मुझे निर्देश हुए हैं कि सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी फीस/फण्ड्स न लेने बारे जारी हिदायतों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं। राज्य में स्थित सभी अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय तथा स्वपोषित डिग्री महाविद्यालय के छात्रों से प्रवेश के समय फीस/फण्ड्स तथा अन्य यूनिवर्सिटी चार्जिज जैसे कि enrollment, registration fee, tuition fee, games, union, library, magazine, medical/examination व अन्य जरूरी फण्ड्स (जो संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित हैं) न लिये जायें।

उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा मांग की जा रही है कि उनसे सरकार द्वारा छात्रवृति का भुगतान होने तक विश्वविद्यालय की पंजीकरण फीस इत्यादि न ली जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि जो अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत कवर होते हैं, केवल उन छात्र/छात्राओं की कोई पंजीकरण फीस इत्यादि सितम्बर मास तक न ली जाए।

उप निदेशक छात्रवृति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
ACADEMIC BRANCH

Endst.No. AC-5/2017/F-9/ 19207 - 19506

Dated: 10/8/17

Copy of the overleaf Govt. letters dated 08.06.2017 overleaf is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Principals of colleges affiliated to M.D. University, Rohtak.
2. Assistant Registrar (Fee), M.D. University, Rohtak.
3. The Director, Computer Centre, M.D. University, Rohtak with the request to upload the letter on University Website.
4. The Incharge (R&S), M.D. University, Rohtak.

9/8/17
Assistant Registrar (Academic)

10/8/17

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला ।

UCC-1/291
10/8/17

सेवा में

प्राचार्य,
1. सभी राजकीय महाविद्यालय।
2. सभी अनुदान प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय,
3. सभी स्वपोषित डिग्री महाविद्यालय।
4. सभी अनुदान प्राप्त शिक्षण महाविद्यालय ।

यादि क्रमांक 3/18-2008 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 11-7-2017

विषय: **अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं से दाखिले के समय फीस/फण्डस न लेने बारे तथा 2017-18 के छात्रवृति क्लेम भेजने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अन्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर यह निर्देश दिए गए थे कि प्रवेश के समय academic courses में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों से जरूरी फीस/फण्डस जैसे कि enrollment, registration fee, tutuion fee, games, union, library magazine, medical/examination व अन्य जरूरी फण्डस (जो संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदत है) न लिये जाये।

परन्तु विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ महाविद्यालय अभी भी छात्र/छात्राओं से फीस/फण्डस ले रहे है, उनसे पुनः अनुरोध है कि वे उक्त हिदायतों का पालन करे अन्यथा विभाग सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जायेगा।

महाविद्यालयों द्वारा मांग की गई है कि विभाग विश्वविद्यालयों को हिदायतें जारी करें कि छात्रों के पंजीकरण के समय छात्रों की पंजीकरण फीस इत्यादि प्रथम तिमाही तक न ली जाये। इस बारे सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सभी राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों से पुनः अनुरोध है कि वे बी0ए0-I, बी0कॉम0-I, बी0एस0सी0-I, एम0ए0-I, एम0काम0-I तथा एम0एस0सी0-I में, जिन एस0सी0/ओ0बी0सी0 छात्रों ने PMS for SC/OBC स्कीम तथा अन्य स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृति के लिए प्रवेश के समय आवेदन किया है, उन आवेदनों की जांच करके पात्र छात्रों के आवश्यक प्रलेखों सहित क्लेम बनाकर दिनांक 16.8.2017 तक निदेशालय में पुष्टि हेतु जमा करवाये ताकि उन्हें समय पर छात्रवृति का भुगतान किया जा सके और विश्वविद्यालय की पंजीकरण फीस इत्यादि का भुगतान हो सके।

उप निदेशक छात्रवृति